

प्रेस नोट दिनांक 13.02.2020

1. दिनांक 12.01.20 को वादी श्री विजय शंकर दूबे पुत्र अरविन्द दूबे नि० कछौली थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि यमुना प्रसाद दूबे पुत्र शिवबरन दूबे नि० कछौली थाना पूराकलन्दर अयोध्या पुरानी रंजिश को लेकर अभि० द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 579/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 12.01.20 को वादी व०उ०नि० श्री दिनेश कुमार पाण्डेय थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विमल सिंह पुत्र जितेन्द्र सिंह नि० राजेपुर थाना महाराजगंज अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 15 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 580/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 12.01.20 को वादी उ०नि० श्री सुनील कुमार थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि श्रीपाल पुत्र मनीराम नि० मगलसी थाना रौनाही अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 467/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 12.01.20 को वादी श्री भरतराम निषाद पुत्र बरखू नि० फखरपुर थाना तारून अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रविशंकर यादव पुत्र भगाने नि० फखरपुर थाना तारून अयोध्या अभि० द्वारा वादी को गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु०अ०सं० 410/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 12.01.20 को वादी श्री कैयूम पुत्र जुम्नन नि० जमुआ थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मुख्तार उर्फ लल्ले पुत्र नीमर नि० जमुआ थाना इनायतनगर अयोध्या आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 628/20 धारा 323, 504, 506 भादवि 156(3)द०प्र०सं० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 12.01.20 को वादी श्री विकास कुमार आर्या अवर अभियंता 33/11 केवी रूदौली ग्रामीण अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शाह आलम पुत्र अब्दुल मजीद नि० हाजीनीम सालार थाना को०रूदौली अयोध्या अभि० द्वारा मीटर से बाईपास जोड़कर विद्युत चोरी कर उपभोग करना। जिसके संबंध में थाना को०रूदौली में मु०अ०सं० 406/20 धारा 135 विद्युत अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 12.01.20 को वादी श्री मनोज कुमार पुत्र रामकरन नि० धौरहरा थाना को०रूदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सत्य नारायण पुत्र त्रिलोकी नाथ नि० धौरहरा थाना को०रूदौली अयोध्या आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा घर में घुसकर गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०रूदौली में मु०अ०सं० 408/20 धारा 452, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।